फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जग्गाराम पिता जवानाराम निवासी गांव लाखागुड़ा बासेडाई, तहसील भीम जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलक्ट्रेट राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 25/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 24.06.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलक्ट्रेट राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलक्ट्रेट राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलक्ट्रेट राजसमन्द के क्रमांक:प–14( )रेकॉर्ड/भू–अ0/19/812–14 दिनांक 13.06.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी ने अपील में यह उल्लेख किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू–अ0) राजसमन्द के यहां पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उपरोक्त आवेदन पत्र में लोक सूना अधिकारी के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी व अपने पत्र क्रमांक भू–अ0/018/661–663 दिनांक 19.07.2018 के माध्यम से अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी नकल सम्वत 2010 से 2014 की सूचना चाही गई जो इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी श्री जग्गाराम पिताा जवानाराम निवासी लाखागुडा तहसील भीम का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथा इस कार्यालय के जावक रजिस्टर संख्या 661–3 दिनांक 19.07.2018 से प्रार्थी को कोई पत्र प्रेषित नहीं किया गया। दो माह पूर्व लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ 1( )सू0अ0.05/2018/333–34 दिनांक 04.05.2018 की पालना में इस कार्यालय के पत्रांक प–14 ( )भू–अ0/18/927–29 दिनांक 15.05.2019 को उक्त सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर तैयार कर प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु नियमानुसार 23 रूपये के कोपिन टिकिट व 10 रूपये फोटो कॉपी शुल्क जमा करा नियत समयावधि में ही प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को लिखा गया था, लेकिन प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक उक्त सूचना प्राप्त नहीं की गयी। प्रार्थी को नियत अवधि में पत्र प्रेषित कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलक्ट्रेट राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलक्ट्रेट राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रार्थी	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा शुल्क नहीं जमा करवाया गया। अतः अपील को ऐसी स्थिति में इस निर्देश के साथ निर्णित की जाती है की अपीलार्थी नियमानुसार 23 रूपये के कोपिन टिकिट व 10 रूपये फोटो कॉपी शुल्क जमा करा वांछित सूचना कार्यालय लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलक्ट्रेट राजसमन्द से प्राप्त करे। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलक्ट्रेट राजसमन्द व अपीलार्थी को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)